19/2018 उमाराम v/s पूर्बाराम

05.5.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान--न्याय आपके द्वार में अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प. आडेल में पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। हस्तगत प्रकरण में विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 26.3.18 को जारी किये गये थे। और लोक अदालत नोटिस भी जारी किये गये। लेकिन विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील एवं सूचना के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी विप्रार्थी संख्या 01 का गोदपुत्र है। विवादित भूमि ग्राम साईयों का तला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 21 रकबा 29—11 बीधा भूमि विप्रार्थी संख्या 01 की आवगी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी उसका गोदपुत्र होने के कारण हिन्दु विधि से विवादित भूमि में प्रार्थी के हक निहित है। विप्रार्थी संख्या 01 विवादित भूमि को बेचान करने पर उतारू है। यदि इसमें सफल हो गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थी का अवेदन स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जावें कि वे राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

हमनें वकील प्रार्थी की बहस कर मनन किया गया। और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया,जिसमें पाया कि ग्राम सांईयो का तला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 21 रकबा 29—11 बीधा भूमि विप्रार्थी संख्या 01 की आवगी खातेदारी में दर्ज है। जो पत्रावली के सलंग्न जमाबंदी संवत 2073—2076 के अवलोकन से स्पष्ट है। और रिकार्डर्ड खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि ऐसा किये

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

जाने से उसके हितों के साथ कुठराघात होगा। पत्रावली के संलग्न गोदनामा प्रति से प्रथम दृष्यता यह तो प्रतीत होता है। कि प्रार्थी को विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा गोद लिया गया है। लेकिन प्रार्थी वकील ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है,कि विवादित भूमि को विप्रार्थी संख्या 01 बेचान/खुर्द बुर्द कर लिया गया है। केवलमात्र मौखिक कथन से अदालत विश्वास नहीं कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी करवाने का हकदार नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनते है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश मजमे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner